<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>02.01.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने सिद्धार्थ अभय चोकशी और अभय साजनलाल चोकशी के खिलाफ काले धन के मामले में चल रही जांच के अंतर्गत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 01.01.2025 को 8.09 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति के लिए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में कर मुक्त बांड के रूप में चल संपत्तियां और पुणे (महाराष्ट्र) में स्थित भूमि के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने आयकर विभाग द्वारा सिद्धार्थ अभय चोकशी और अभय सजनलाल चोकशी के खिलाफ मुंबई के एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत दायर अभियोजन शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि सिद्धार्थ अभय चोकशी और अभय सजनलाल चोकशी दोनों ही ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में पंजीकृत एक विदेशी इकाई, ब्लू मिस्ट इंटरनेशनल इंक. के लाभकारी मालिक थे, जिसका सिंगापुर में एक बैंक खाता था। ईडी की जांच से यह भी पता चला कि ब्लू मिस्ट इंटरनेशनल इंक., बीवीआई ने सिंगापुर में एक संपत्ति की खरीद के लिए एचकेसीएल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक बिक्री और खरीद समझौता किया था। जांच के दौरान, यह पाया गया कि सिद्धार्थ अभय चोकशी और अभय सजनलाल चोकशी दोनों के पास कुल 8.09 करोड़ रुपये की अघोषित विदेशी आय और संपत्ति थी, जो इस मामले में अपराध की आय (पीओसी) है।

इसके अलावा, चूंकि इस मामले में पीओसी देश के बाहर हैं, इसलिए सिद्धार्थ अभय चोकसी और अभय साजनलाल चोकसी के स्वामित्व वाली भारत में समतुल्य मूल्य की 8.09 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्तियां पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ईडी द्वारा अनंतिम रूप से जब्त की गई हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।
